

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,  
उप सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा मे,

महानिदेशक,  
विकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,  
उ०प्र०, लखनऊ।

विकित्सा शिक्षा अनुभाग—4

लखनऊ : दिनांक ०४ मई, 2020

विषयः—नीट पी०जी० 2020 के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक सत्र 2020-21 में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों एम०डी०/एम०एस०/डिप्लोमा/एम०डी०एस० में प्रवेश हेतु दिशा—निर्देश में संशोधन

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या—एम०ई०-३/2020/727, दिनांक 25.04.2020 का कृपया सदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

२- उक्त सदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नीट पी०जी० 2020 की काउन्सिलिंग से संबंधित दिशा—निर्देश विषयक शासनादेश संख्या—३२९/७१-४-2020-१५/२०१८ टी०सी०, दिनांक १२ मार्च, २०२० में वर्णित दिशा—निर्देशों के अतिरिक्त निम्नवत् दिशा—निर्देश निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष र्खीकृत प्रदान करते हैं:-

यदि अभ्यर्थी शैक्षणिक सत्र 2020-21 की प्रथम काउन्सिलिंग से आवंटित होकर प्रदेश के किसी भी मेडिकल/डेण्टल की सीट पर प्रवेश प्राप्त कर लेता है तत्पश्चात्:-  
(।) अभ्यर्थी आल इण्डिया या अन्य प्रदेश की काउन्सिलिंग के माध्यम से किसी अन्य पर आवंटन प्राप्त करता है और वह प्रदेश की प्रथम काउन्सिलिंग से प्रवेशित सीट से त्यागपत्र देना चाहता है (त्यागपत्र के समय अन्य काउन्सिलिंग से आवंटन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा) तो ऐसे अभ्यर्थी द्वितीय काउन्सिलिंग की च्वाईस फिलिंग से दो दिन पूर्व ( उदाहारणार्थ यदि द्वितीय चक की काउन्सिलिंग १५ मई, २०२० से प्रारम्भ होनी है, तो अभ्यर्थी १२ मई, २०२० को सायं ४.०० बजे तक) अपनी सीट से त्यागपत्र दे सकता है ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी सिक्योरिटी धनराशि तथा शिक्षण शुल्क से निम्नानुसार कटौती करते हुए वापस किया जाएगा:-

- राजकीय क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों में प्रवेशित अभ्यर्थियों की जमा समरत शुल्क से 10 प्रतिशत की कटौती करते हुए शेष धनराशि तथा धरोहर धनराशि (Security Money) वापस देय होगी।
- निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों में प्रवेशित अभ्यर्थियों की जमा शिक्षण शुल्क से 10 प्रतिशत की कटौती करते हुए शेष धनराशि तथा धरोहर धनराशि (Security Money) वापस देय होगी।

(।।) प्रथम चक की काउन्सिलिंग से आवंटन के पश्चात यदि अभ्यर्थी द्वारा आवंटित कालेज में प्रवेश ले लिया जाता है तथा अभ्यर्थी को आल इण्डिया/अन्य प्रदेश की

काउन्सिलिंग से कोई भी आवंटन प्राप्त नहीं होता है, किर भी अन्यर्थी निर्धारित तिथि (द्वितीय चक की द्वाइस मिलिंग से बो दिन पहले) से पूर्व त्याग पत्र देता है तो ऐसी दशा में जमा की धरोहर धनराशि (Security Money) जब्त कर ली जायेगी तथा शिक्षण शुल्क में से 50 प्रतिशत की कटौती करने हुए शेष धनराशि घापस किया जाएगा:-

यदि अन्यर्थी के द्वारा निर्धारित तिथि के पश्चात त्याग पत्र दिया जाता है तो ऐसी दशा में जमा की धरोहर धनराशि (Security Money) व शिक्षण शुल्क जब्त कर लिया जाएगा।

3- उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या-329/71-4- 2020-15/2018 दी0सी0, दिनांक 12 मार्च, 2020 में उल्लिखित शेष शार्ट यथावत रहेंगी।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक अंग्रेजी कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनिल कुमार सिंह )  
उप सचिव।

संख्या-477(1)/71-4-2019-तददिनांक-

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. सचिव, मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडिया /डेण्टल काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली।
  2. कुलप्रति, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।
  3. कुलसचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
  - 4: निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।
  5. निदेशक, डा० राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
  6. प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
  7. निवेशक, एन0आइ0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
  8. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, उ0प्र0 द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
  9. समस्त प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेन्टल कालेज/विश्वविद्यालय, अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय उ0प्र0 द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
  10. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
  11. निजी सचिव, मा० चिकित्सा शिक्षा मंत्री/मा० राज्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
  12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
( अनिल कुमार सिंह )  
उप सचिव।

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ  
संख्या-एम0ई0-3/2020/ 774 लखनऊ:दिनांक 04 मई, 2020

- उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 04.5.2020 की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, मेरठ, कानपुर, आगरा, गोरखपुर, प्रयागराज, झौसी
  2. कुलसचिव, किंगजार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ / उ0प्र0आयुर्विज्ञान चिकित्सा विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा
  3. निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0 / डा०आर०एम०एल इंस्टीट्यूट लखनऊ।
  4. निदेशक, सुपर स्पेशियलटी बाल चिकित्सालय पी0जी0 शैक्षणिक संस्थान, नोएडा/क्षेत्रीय नेत्र संस्थान, सीतापुर/मानसिक स्वास्थ्य केन्द्र, आगरा
  5. समस्त प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेन्टल कालेज/विश्वविद्यालय, उ0प्र0
  6. निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ को इस आशय से उक्त शासनादेश प्रति वेबसाइट <https://upneet.gov.in> पर प्रदर्शित करने का कष्ट करे।
  7. डा० बी०डी०सिंह, सम्बद्ध अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से उक्त शासनादेश प्रति वेबसाइट [www.updgme.in](http://www.updgme.in) पर प्रदर्शित करने का कष्ट करे।
  8. गार्ड फाइल।

( के०के०गुप्ता )  
महानिदेशक।